**FORM-1**
**Government of Uttarakhand**
**Office of the District Collector: Almora**

No.......................... Dated...30.06.2022......................

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **7.025 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the पोखरी–मेरगॉव से कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Unyura,Dura,Gutholi Village (s) in Jaiti Tahsils.**

It is further certified that:

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **7.025** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ................ to annexure................

(h) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(i) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

**Encl: As above**

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Vandana Singh
District Collector, Almora
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

# FORM-II
## Government of Uttarakhand
## Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated...30.06.2022.......

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 7.025 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the पोखरी–मेरगॉव से कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Unyura,Dura,Gutholi Village (s) in Jaiti Tahsils.**

It is further certified that:

(m) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **7.025** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ....... to annexure .........

(n) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(o) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Unyura,Dhaura,Gutholi** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(p) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(r) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

**Encl: As above**

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Vandana Singh
District Collector, Almora
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vandana Singh, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date.30.06.2022..at time.4.30Pm..at Almora in which application claiming rights **of Unyura, Dhaura, Gutholi** measuring **7.025 hac.**for the जनपद पोखरी–मेरगॉव से कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 कि0मी0)of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Jaiti** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

जिला उद्यान कार्याधिकारी
अल्मोड़ा

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

रियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जैंती
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जैंती।

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 7.025 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जैंती ) की दिनांक 23.06.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल सिंह चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री गोपाल सिंह चौहान उप जिलाधिकारी, जैंती अध्यक्ष

2– श्री आनन्द बल्लभ पाठक , वन क्षेत्राधिकारी जागेश्वर, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3– श्री शैलेन्द्र पाण्डे सहायक सहायक समाज कल्याण अधिकारी लमगड़ा सदस्य/सचिव

4– श्री देवेन्द्र कुमार बी0डी0सी0 क्षेत्र उ-पूड़ा (लमगड़ा) सदस्य

सदस्य
क्षेत्र पंचायत – उन्यूड़ा
वि० ख०-लमगड़ा
जिला-अल्मोड़ा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 7.025 है0** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के **<u>जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 7.025 है0</u>** वन भूमि प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

23.06.2022

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जैंती व जनपद अल्मोड़ा

**प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

23.06.2022

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जैंती व जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

### ग्राम पंचायत का नाम–उन्यूड़ा

### तहसील–जैंती व जिला–अल्मोड़ा।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेष्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेष्वर कपिलेष्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 7.025 है0 वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम उन्यूड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

(कुन्दन सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत–उन्यूड़ा
वि0ख0–लमगड़ा,अल्मोड़ा

दिनांक 23/02/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत उन्यूड़ा

| क्रम सं0 | ग्रामवासियों का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01 | देवेन्द्र कुमार | Kumar |
| 02 | जगदीश सिंह अधिकारी | [illegible] |
| 03 | पंकज सिंह नेगी | Pankaj |
| 04 | सूरज सिंह अधिकारी | Suraj |
| 05 | जीवन सिंह अधिकारी | [illegible] |
| 06 | गजेन्द्र सिंह अधिकारी | Adhikari |
| 07 | [illegible] | [illegible] |
| 08 | धरम सिंह | धरम सिंह |
| 09 | चन्द्र गिरी | चन्द्र गिरी |
| 10 | [illegible] | [illegible] |
| 11 | जगत सिंह अधिकारी | JS Adh |
| 12 | नरेन्द्र सिंह अधिकारी | NS Adh |

Kundan
ग्राम प्रधान

(कुन्दन सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत-उन्यूड़ा
वि0ख- [illegible] जि0 अल्मोड़ा

**परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0**

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

### ग्राम पंचायत का नाम–गुठौली

### तहसील–जैंती व जिला–अल्मोड़ा।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेष्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेष्वर कपिलेष्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 7.025 है0 वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम गुठोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(सत्येन्द्र ... सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत गुठोली
वि0ख0 ... अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

दिनांक 23/02/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गुठौली

| क्रम सं0 | ग्रामवासियों का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (1) | त्रिलोक सिंह रावत | [signature] |
| (2) | श्रीमती [illegible] रावत | [illegible] रावत |
| (3) | उमेद सिंह रावत | USRawat |
| (4) | राजेन्द्र सिंह | राजेन्द्रसिंह |
| 5 | मोहनसिंह | मोहनसिंह |
| (6) | दीवान सिंह | दीवान सिंह |
| (7) | भवान सिंह रावत | BSRawat |
| (8) | रतन सिंह | Ratan |

ग्राम प्रधान
[signature]
(सत्येन्द्र सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत--गुठौली
वि0ख0--लमगड़ा,अल्मोड़ा

**परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0**

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**
**ग्राम पंचायत का नाम–धौणा**

**तहसील–जैंती व जिला–अल्मोड़ा।**

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेष्वर के अन्तर्गत पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेष्वर कपिलेष्वर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 7.025 है0 वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बटुलिया द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम धौणा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(सत्येन्द्र सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत–गुठौली
वि0ख0–लमगड़ा,अल्मोड़ा

**ग्राम प्रधान**

दिनांक 23/02/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत धौणा

| क्रम सं0 | ग्रामवासियों का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | नन्दन सिंह बिष्ट | [illegible] |
| 2 | मदन सिंह | मदन सिंह |
| 3 | चन्दन सिंह | चन्दन सिंह |
| 4 | हर सिंह | हरसिंह |
| 5 | गोपाल सिंह रावत | [illegible] |
| 6 | सत्येन्द्र सिंह | सत्येन्द्र सिंह |
| 7 | प्रताप सिंह रावत | PS R[illegible] |
| 8 | नर सिंह रावत | नर सिंह |
| 9 | भगवत सिंह | भगवत सिंह |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ग्राम प्रधान

(सत्येन्द्र सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत--गुठौली
वि0ख0--लमगड़ा,अल्मोड़ा